इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302 004

ईपीएबीएक्स 2706577–78, 2702784 फैक्स 0141–2706575

E-mail: igprgvs@sancharnet.in

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर व दोनो हॉस्टल एवं चौपाल परिसर में बागवानी व्यवस्था का कार्य

निविदा प्रपत्र

मूल्य : 200 /– रूपये

अवधि : एक वर्ष

राशि : 4,00,,000 /–

धरोहर राशि–8,000 /–

निविदाऐं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16.9.2015 (12.00 बजे तक)

निविदा खोलने की तिथि 16.9.2015 (4.00 बजे तक)

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
फोन : 0141–2702784, 2706577–78 फैक्स : 2706575
E-mail: igprgvs@sancharnet.in

संस्थान ,हॉस्टल एवं चौपाल भवन की बागवानी व्यवस्था हेतु निविदा व संविदा की शर्ते

सामान्य शर्ते

1. निविदाकार को निविदा को एक लिफाफे में बन्द करके बक्से में डालना होगा। निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन,अमानत राशि, सरकार व स्वायतशासी संस्थान में गत तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा अमानत राशि रू. 8000/–नकद/बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट को साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र पर ही स्वीकार्य होगी जो उपस्थित निविदादाता के समक्ष खोली जावेगी। विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार्य नही होगी।
3. निविदादाता अथवा सेवादाता सर्विसटेक्स नम्बर एवं पैन नम्बर आदि की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता/सेवादाता अथवा उसके प्रतिनिधि संस्थान के केयर टेकर के साथ सामुहिक निरीक्षण करके प्रतिदिन निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उसी के आधार पर मासिक बिल का भुगतान किया जावेगा।

6 निविदादाता द्वारा वर्तमान में चल रहे कार्य के कार्य स्थलों/कार्यालयों की सूची भी संलग्न करें ताकि आवश्यकता पडने पर उन कार्यालयों का अवलोकन किया जा सके ।

7 निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व संस्थान के कार्य स्थल का निरीक्षण भंलीभांती करके ही निविदा प्रपत्र में दरे अंकित करें ।

8 निविदादाता, मजदूरों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखते हुये निविदा प्रपत्र में दरें अंकित करें । न्यूनतम मजदूरी की गणना 26 दिन के माह को आधार मान कर की जावेगी । न्यूनतम मजदूरी से दरें कम देता है तो उक्त निविदादाता के निविदा प्रपत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

9 निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में पेन/स्याही से ही भरी जाये। किसी भी प्रकार की कांट–छांट या ओवर राईटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी कांट –छांट ओवर राइटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह निविदादाता को मान्य होगा।

10 फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता फर्म द्वारा संस्थान को लिखित में दी जावेगी किन्तु इन परिस्थितियों में भी संस्थान से हुए इस अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।

2

11 निविदादाता निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में, संस्थान कें सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते है।

12 निविदादाता द्वारा अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त संस्थान को मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदा निरस्त करदी जावेगी।

13 अनुबंधकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रेक्ट वह किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगा अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगा।

14 अनुबंध की अवधि एक वर्ष तक के लिए होगी। परस्पर सहमति से अवधि कम की जा सकती है अथवा बढाई जा सकती है।

15 संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा।

16 निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी) के रूप मे 8000/– रूपये की राशि नकद अथवा महा निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान,जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफट के रूप में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि संस्थान द्वारा लौटा दी जावेगी।

17 बयाना (अग्रिम राशि) राशि का संमपहरण निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा–

1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात, किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को (मोडिफिकेशन) उपान्तरित कर देता है,
2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता,
3. जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता या
4. जब निर्धारित समय में कार्य व्यवस्था प्रारंभ करने में विफल रहता है।

18. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 500/–रू नांन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पडेगा। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को 5 प्रतिशत की राशि प्रतिभूति राशि के रूप में संस्थान में नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफट द्वारा जमा करानी पडेगी। यह राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने के दो माह उपरान्त वापस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर संस्थान द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

19 करार के पूर्ण किए जाने तथा टाईपिंग किये जाने का व्यय निविदादाता द्वारा संदत्त किया जाएगा और संस्थान द्वारा अनुबंन्ध पत्र की फोटोप्रति निशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी ।

विशेष शर्तें:–

20 गमले एवं स्थाई पौधे संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें परन्तु किसी प्रकार संयंत्र होज पाईप आदि नहीं दिया जावेगा । पानी बिजली की व्यवस्था संस्थान द्वारा ठेकेदार को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी ।

21 श्रम कानून को मानना होगा ।न्यूनतम मजदूरी देने का दायित्व निविदादाता का होगा।

22 यदि किसी बागवान कर्मचारी की लापरवाही से संस्थान की किसी चल एवं अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति होती है अथवा संस्थान में चोरी की कोई वारदात होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म का होगा तथा जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति अनुबन्धकर्ता फर्म को करनी होगी।

23 बागवान कर्मचारी की लापरवाही अथवा कर्त्तव्योपेक्षा के कारण होने वाली क्षति का मूल्यांकन संस्थान प्रशासन द्वारा किया जावेगा, जो कि अनुबन्धकर्ता फर्म को निर्विवाद रूप से मानना होगा।

24 स्थाई पौधे से नये पौधे तैयार किये जावेगें ।

25 वर्ष में दो बार होली एवं दीपावली के अवसर पर संस्थान ,चौपाल के गमलों एवं बगीचों की ईंटों को पेन्ट किया जावेगा ।

26 संस्थान, चौपाल एवं दोनो हॉस्टल में लगी घास की कटिंग विद्युत मशीन द्वारा 15 दिवस में एक बार अनिवार्य रूप से करनी होगी । ऐसा न किए जाने पर बिल में से उचित सीमा तक कटौती की जा सकेगी । कटौती की सीमा के संबन्ध में अन्तिम निर्णय निदेशक संस्थान का होगा ।

27 संस्थान , चौपाल तथा दोनो हॉस्टल में खाली गमलों में तथा लॉन की सम्पूर्ण साइडों में बढ़िया किस्म की मौसमी कच्ची फुलवारी लगानी होगी जिसका खर्चा निविदाकार वहन करेगा ।

28 संस्थान ,चौपाल में लगे पेड़–पौधों, गमलों एवं लॉन में निराई, खुदाई करनी होगी । अच्छी किस्म की खाद डालनी होगी, मिट्टी को बदलना होगा, पानी डालने की व्यवस्था करनी होगी । कीट आदि से बचाव हेतु दवाईयों का उपयोग समय–समय पर ठेकेदार को अपनी लागत पर करना होगा ।सभी प्रकार की सामग्री की लागत सस्थान द्वारा वहन की जावेगी लेकिन उपकरणों व औजारों की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी। बागवानी के कार्य के लिए प्रशिक्षित व अनुभवी बागवान को ही लगाया जाएगा।

29 कच्ची फूलवारी जो लगाई जानी है उसमें मौसमी पौधे प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार लगाने होगें जैसे डोलिया, कोचिया आदि बढ़िया किस्म के पौधे तथा मैन बिल्डिंग के सहारे–सहारे एक दम साफ रखा जावेगा तथा साईड में खाली

जगह (बोर्डर)पर तथा खाली गमलों के लिये मौसम के अनुसार कच्वी फुलवारी लगानी होगी ।

30 ठेकेदार के लिये यह आवश्यक होगा कि वह बागवानी व्यवस्था के लिये लगाये गये कर्मचारियों की सूची मय सम्पूर्ण विवरण एवं नवीनतम फोटोग्राफ के दो प्रतियों में संस्थान में प्रस्तुत करें । इसके पश्चात् समय–समय पर होने वाले परिवर्तन की सूची संस्थान प्रशासन को इसी प्रकार के विवरण के साथ उपलब्ध करवाते रहेगें।

31 ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों के सदाचरण के लिए उत्तरदायी होगा । किसी भी बागवान कर्मी द्वारा दुराचरण किये जाने, अभद्र व्यवहार करने अथवा नशे में पाये जाने पर संस्थान द्वारा उसे तत्काल परिसर के बाहर भेज दिया जावेगा । ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान का संविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

32 बागवानी के दौरान जाने–अनजाने में संस्थान भवन या उसमें स्थित किसी सामान का कोई नुकसान अथवा क्षति पहुंचती है तो इसके संबंध में जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस क्षति राशि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी । उक्त राशि तय करने का अधिकार संस्थान का होगा। जिसे ठेकेदार को मानना होगा।

33 बागवानी कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के पश्चात् प्रतिमाह चैक द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा । यदि बागवानी कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संस्थान को कटौती किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा, कटौती की सीमा के संबंध में अंतिम निर्णय महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का होगा ।

34 यदि ठेकेदार बागवानी व्यवस्था करने में असफल रहता है तो संस्थान को अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था करवाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा इस व्यवस्था में होने वाले व्यय से दुगुनी राशि भुगतान से वसूली योग्य होगी ।

35 संस्थान,चौपाल व दोनो हॉस्टल परिसर में घास के पार्को के अलावा सड़क पर जगह–जगह पर उग रही घास की सफाई करवाने का कार्य संविदाकार का होगा । सड़क पर घास नहीं उगने दी जावेगी । जंगली पड़े–पौधें को भी समय–समय पर हटाये जाने व पेड़ों की कटिंग की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी ।

36 बागवानी से निकले कूडे को परिसर के बाहर दूर स्थान पर डालने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

37 संस्थान भवन के कार्यक्रमों में सजावटी गमलों को लगाये जाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

38 निविदादाता से अपेक्षित है कि वह संस्थान परिसर व चौपाल परिसर का अवलोकन करके ही अपनी दरें अंकित करें ।

39 उद्यान विशेषज्ञ की योग्यता उद्यमिकी विषय में कम से कम स्नातक होनी चाहिये और उसे बागवानी कार्य का अनुभव होना चाहिये।

संस्थान एवं चौपाल में निम्नलिखित कार्य करने होगें।

40 निविदाकार द्वारा संस्थान , चौपाल मे निम्नलिखित कार्य करने होगे:– मैंन बिल्डिंग , चौपाल व नए हॉस्टल व पुराने हॉस्टल की सामने के लॉन, लॉन के अगल–बगल व गैलरी में लगे हुए सभी पेड़, पौधें, संस्थान की सभी बिल्डिंगों पर आवश्यकतानुसार बेलें चढ़ना, संस्थान के मुख्य भवन व नये हॉस्टल के बीच खाली जगह में हरी पट्टी विकसित करना व आवश्यकतानुसार पेड़ पौधे लगाना, पुराना हॉस्टल व उसके सामने तथा जवाहर कला केन्द्र के बगल में आवश्यकतानुसार पेड़ पौधें लगाना, फुलवारी विकसित करना, संस्थान के परिसर में निर्देशानुसार सभी प्रकार के बागवानी संबंधी कार्य करना।

41 निविदादाता यह भली प्रकार समझ लें कि साधारण रूप से बगीचे तथा पौधों में पानी देने तक का कार्य बागवानी नहीं हैं, बागवानी से सम्पूर्ण संस्थान , चौपाल को अभिरूचिपूर्ण व संस्थान को पेड़ पौधों तथा फूलों से सजाना हैं जिसके लिए साधारण मजदूरों को लगाना पर्याप्त नहीं हैं।

42 दर पूरे कार्य की सालभर की अंकित करनी हैं स्वीकृत दर के अनुसार भुगतान आनुपातिक रूप से मासिक किया जाएगा।

43 निम्नलिखित सामग्री संस्थान / निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी:–

अ स्थायी प्रवृति के पौधें जो संस्थान में तैयार नहीं किए जा सकते हैं वह संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें ।

ब लॉन में लगाने हेतु घास, यदि संस्थान की मौजूदा घास से लेना सम्भव नहीं होतो संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।

स ईंटें आदि यदि आवश्यक हों।

44 निम्न सामग्री संस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी–

अ कच्ची फुलवारी हेतु पौध स्वयं सेवा प्रदाता को तैयार करनी होगी।

ब जो पौधे तथा हेज संस्थान में तैयार किए जा सकते हैं।

स समस्त बागवानी औजार, उपकरण, पाईप, मशीन आदि।

द खाद व कीटनाशक

अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित शर्ते मुझे/हमें स्वीकार्य है । तकनीकी व "दर निविदा" के प्रपत्र पूर्ण भरकर संलग्न है ।

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम व पता

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
फोन : 0141–2702784, 2706577–78 फैक्स : 2706575
E-Mail: igprgvs@sancharnet.in

"दर निविदा"

दरों का विवरण

कार्य का नाम :– इन्दिरा गांधी पंचायती राज्य एवं ग्रामीण विकास संस्थान ,हास्टल एवं चौपाल परिसर की बागवानी का ठेका

क्र.सं.	कार्य का विवरण	राशि प्रति माह(अंकों व शब्दों में) कुल दर (सभी करों सहित)
1.	संस्थान परिसर, हॉस्टल में बागवानी का सम्पूर्ण कार्य	
2	चौपाल परिसंर में बागवानी का सम्पूर्ण कार्य	

नोटः–1 दरें समस्त प्रकार के करों सहित मानी जावेगी तथा प्रस्तुंत दरें के अतिरिक्त अन्य भुगतान देय नहीं होगा ।

2 कम संख्या 1 व 2 के योग को आधार मानकर ही न्यूनतम निविदा का चयन किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम व पूरा
पता रबर स्टाम्प सहित

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास संस्थान)
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302 004
फोन : 0141–2702784, 2706577–78 फैक्स : 2706575
E-Mail: igprgvs@sancharnet.in

2

बागवानी व्यवस्था के लिए निविदा प्रपत्र ।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा व दूरभाष संख्या ____

2. पैन नम्बर————सर्विस टैक्स ————(प्रति संलग्न करें)

3. निविदा शुल्क की रकम राशि रूपये 200/–(रूपये दो सौ मात्र) रोकड़ राशि संख्या .... दिनांक .... द्वारा संस्थान में जमा करा दी गई है ।

4. निविदा सूचना संख्या क्रमांकःएफ.4( )ग्राविस/भंडार/2015 दिनांक जो विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा जारी की गई है, मैं/हम वर्णित समस्त शर्तो पालन करने के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तो जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन के लिए हम सहमत हैं ।

5. उक्त निविदा के साथ संविदा की शर्तो के अनुसार राशि रूपये 8,000/– (अकेंन रूपये चार हजार रूपये मात्र) नकद की रसीद संख्या .... डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... को महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकस संस्थान के पक्ष में देय है (संलग्न है)

6. निविदादाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की..................

7. एकल स्वामित्व है तो स्वामी का नाम पता ....

8. साझेदारी की स्थिति में साझेदारी हे तो पते ....

9. निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता तथा उसकी फर्म में स्थिति :– ....

10. इस निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरित व्यक्ति के अलावा यदि कोई व्यक्ति भविष्य में पत्र व्यवहार करे तो उस व्यक्ति का नाम व पता एवं हस्ताक्षर तथा उसी फर्म में स्थिति अंकित करें ।

11. दूरभाष नम्बर ....

12. राजकीय विभाग/उपक्रम में गत तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें। ________________________________

निविदाकार के हस्ताक्षर